

**अपील संख्या 2011/00080 बउनवानी छगनी बनाम मंगली
वगैरह, आदेश दिनांक 09.08.2018**

वकील अपीलांट श्री वीरेन्द्र सिंह खंगारोत एवं राजकीय
अभिभाषक श्री धर्मवीर चौधरी उपस्थित। जिनकीअपील पर
बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का कथन है कि उपखण्ड
अधिकारी, दूदू का आदेश दिनांक 23.03.2011 संसुगत एवं
विधि संगत हैं। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज
की जाती हैं। पत्रावली नम्बर से कम हो। फैसलशुमार हों।
पत्रावली तकमील दाखिल दफ्तर हों।